

फर्द अहकाम

(नियम-28)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

<p>तारिख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही इनिषिलस जज</p>	<p>नम्बर अहकाम हुक्म की जायी</p>
	<p>नली व वकील प्रति के प्राप्ता आदेश 01/R10 CPC में चल रहा है, जिसकी पालना में वकील वादी ने न ही कांमु की लकी हेतु लम्बन नलका परा किने तथा न ही वकील प्रतिवादी के प्राप्ता 01/R10 CPC का जवान पेश किया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि वकील वादी वाद को इस पलाने के इस जही है। अतः वादी का वाद अदम लकील में खारिज किया जाना है। फावली नम्बर के फम होकर दाखिल शर्कर है।</p>	<p><i>[Signature]</i> जायल (नागौर)</p>